



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1948 (श०)
(सं० पटना 499) पटना, शुक्रवार, 15 मई 2026

सं० 09/न०वि०विविध (World Bank)-01/2026-5125/न०वि० एवं आ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

7 मई 2026

विषय— राज्य के चयनित शहरी केन्द्रों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं उत्पादक बनाने तथा एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर ऋण की सहायता प्राप्त कर बिहार अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोग्राम क्रियान्वित करने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

राज्य की बढ़ती शहरी जनसंख्या, मास्टर प्लान आधारित विकास की अपरिहार्यता एवं शहरों में आधारभूत सुविधाओं की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, भागलपुर, पूर्णिया एवं अन्य शहरों में सुनियोजित विकास किए जाने की आवश्यकता है ताकि शहरी क्षेत्र रोजगार सृजन तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बने तथा राज्य में शहरी आर्थिक क्षेत्रों के समन्वित विकास का वातावरण निर्मित हो।

1. शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास, नगर निकायों की संस्थागत क्षमता में वृद्धि, शहरों में आर्थिक एवं आधारभूत संरचना का निर्माण एवं शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम सरकारी निवेश पर बाजार के सहयोग से संसाधन का पूर्ण दोहन हेतु विश्व बैंक के साथ राज्य में 10 वर्षों के लिए बिहार अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोग्राम संचालित करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त कर एकरारनामा किये की जाएगी। यह कार्यक्रम राज्य में सतत, जलवायु-संवेदनशील एवं आर्थिक रूप से सशक्त शहरीकरण की दिशा में एक प्रमुख पहल होगा, जिससे दीर्घकालिक शहरी विकास एवं निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
2. विश्व बैंक के द्वारा तैयार प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पी०पी०आर०) तथा एक संकल्पना टिप्पणी के आधार पर राज्य के चयनित शहरी केन्द्रों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं उत्पादक बनाने तथा एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर ऋण की सहायता प्राप्त कर बिहार अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोग्राम क्रियान्वित की जाएगी, जिसपर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-06.05.2026 को मद संख्या-13 के रूप में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। बिहार अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोग्राम के कार्यान्वयन की रूपरेखा निम्नवत है :

- (i). बिहार अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोग्राम राज्य में तीन चरणों में क्रियान्वित की जाएगी, जिसके तहत कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्तमान मूल्य पर लगभग ₹ 4,751 करोड़) का वित्तीय सहयोग किस्तों में विश्व बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा कुल 30 प्रतिशत (215 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का प्रतिभागी निवेश की जाएगी। इसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत है :

चरण	अवधि	बाह्य सहायता (अमेरिकी डॉलर मिलियन में)	राज्य अंशदान (अमेरिकी डॉलर मिलियन में)	कुल लागत (अमेरिकी डॉलर मिलियन में)
चरण—I	2027—2030	150	65	215
चरण—II	2030—2035	250	107	357
चरण—III	2033—2037	100	43	143
कुल योग		500	215	715

उक्त प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (डी०ई०ए०) को समर्पित किया जाएगा।

- (ii). विश्व बैंक से ली जाने वाली ऋण जापानी मुद्रा येन में ली जाएगी। वास्तविक ऋण की राशि एकरारनामा के अनुसार विनिमय दर पर निर्भर करेगी।
- (iii). भारत सरकार की सहमति प्राप्त होने पर संबंधित विस्तृत परियोजना दस्तावेज तथा ऋण एकरारनामा विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित करने से पूर्व पुनः मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्राकशित किया जाय।

आदेश से,
राजीव कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 499-571+200-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>